आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/ जयपुर दिनांकः 28 JUL 2022

आदेश

1. अभियान 'शहर–2021 के अन्तर्गत गैर कृषि भूमि का धारा 69–ए के तहत् फ्री–होल्ड पट्टा देने के संबंध में विभागीय समसंख्यक स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 12 अकृषि भूमि के वैधानिक दस्तावेज व निर्माण के संबंध में उप बिन्दु (ii) के अनुसार अकृषि भूमि जिसके स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध नही है परन्तु मौके पर दिनांक 31.12.2018 से पूर्व का निर्माण व रहवास है तो मान्य दस्तावेजों में से दो वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर निर्मित क्षेत्र सहित अधिकतम 300 वर्गमीटर तक का फ्री–होल्ड पट्टा दिये जाने एवं बिन्दु संख्या 20 में अकृषि भूमि में मन्दिर होने पर पट्टा देने के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। प्रशासन शहरों के संग गठित दलों द्वारा पुरानी हवेलियों के पट्टे देने का सुझाव दिया गया है। अतः निम्न आदेश जारी किये जाते है–

   (i) जिन सम्पतियों का निर्माण राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (जो 1959 से प्रभावी है) के लागू होने से पूर्व का है, किन्तु स्वामित्व के दस्तावेज नही है तो ऐसी सम्पतियों में दो वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक के रूप में भू–स्वामी द्वारा 1959 से पूर्व का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर सम्पति के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का फ्री–होल्ड पट्टा जारी किया जा सकेगा।

   (ii) यदि निजी मन्दिर 500 वर्गमीटर तक निर्मित है, तो 500 वर्गमीटर तक का पट्टा स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु संख्या 20 के अनुसार दिया जा सकेगा।

2. निजी आबादी भूमि के छोटे भूखण्डों की योजना में निम्नानुसार कार्यवाही की जावें–

   2.1 पट्टा जारी नहीं मगर बसावट हो चुकी है :–

   ऐसी कालोनीयों के भूखण्डों के पट्टे स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिंदु 17 के अनुसार खातेदारी अधिकार व हक समाप्त करते हुए मौके की बसावट के अनुसार पट्टे दिए जाऐंगे। ले–आउट प्लान के व उप–विभाजन की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।

   2.2 पट्टा जारी नही तथा भूमि मौके पर रिक्त है :–

   ऐसी भूमियों पर ले–आउट प्लान प्रस्तुत कर 69–ए के तहत् आवेदन किया जाता है तो स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिंदु 17 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। टॉउनशिप पॉलिसी के अनुसार ले–आउट स्वीकृत किया जायेगा तथा बाहय विकास शुल्क भी टाउनशिप पॉलिसी अनुसार देय होगा। आन्तरिक विकास कार्य खातेदार/विकासकर्ता की जिम्मेदारी होगी। यदि आन्तरिक विकास कार्य स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है तो आन्तरिक विकास शुल्क स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

Scanned with CamScanner

2.3 **एकल पट्टा जारी हो चुका मौके पर भूमि रिक्त हैं –**

यदि पूर्व में 69–ए के तहत एकल पट्टा प्राप्त कर लिया गया है उसके पश्चात भूमि के छोटे–छोटे भूखण्डों को नियोजित कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, तो टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार ले–आउट प्लान स्वीकृत किया जायेगा तथा विकास शुल्क उपरोक्त बिन्दु 2.2 के अनुसार देय होगा। पूर्व में जारी किया गया पट्टा समर्पण किया जाकर नियोजित किये जाने वाले भूखण्डों के अलग–अलग पट्टे दिये जा सकेंगे।

3. रूपांतरित भूमि का फ्री–होल्ड पट्टा एवं नामांतरण निकाय के नाम करवाने के संबंध में :–
नगरीय भूमि रूपांतरण नियम, 1981 में पट्टा व ग्रामीण रूपांतरण नियम में संपरिवर्तन आदेश दिया जा चुका है, किन्तु भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में भी खातेदारों के नाम दर्ज है। क्षेत्र अब मास्टर प्लान की सीमा में आ चुका है, ऐसी भूमि का धारा 69–ए(2) के अंतर्गत आवेदन किया जाता है तो संबंधित निकाय द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022 के बिन्दु सं. 17 के अनुसार कार्यवाही कर फ्री–होल्ड पट्टे दिये जा सकेंगे एवं नामांतरण निकाय के नाम दर्ज करवाया जायेगा।
संलग्नः–स्पष्टीकरण दिनांक 21.04.2022

राज्यपाल की आज्ञा से

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner